

## स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

नीलिमा सिंह  
असिस्टेन्ट प्रोफेसर  
राजनीति विज्ञान  
राजकीय महाविद्यालय  
सहजनवाँ गोरखपुर

**सारांश :-** भारत की राजनीति में आजादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। वर्तमान में राजनीति में महिलाओं की कमज़ोर स्थिती लोकतंत्र में प्रतिकूल है। लोकतंत्र जहाँ नीति निर्माण में समान सहभागिता पर जोर देता है, वही नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है। भारत के राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के पिछे अबतक समाज में पितृसत्तात्मक ढाचे का मौजूद होना है। हालाकि भारत उन देशों में है जिसने दशकों पहले ही अपनी बागड़ोर इन्डिरा गांधी के हाथों में सौप दी थी। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती जौसी नेता भारतीय सत्ताराजनीति का एक चमकता सितारा है। फिर भी सवाल यह है कि इस चमक का दायरा कितना व्यापक, कितना सघन व स्थायी है। पार्टियों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तथा पार्टी में जो भी महिला कार्यकर्ता है, उससे सिर्फ महिला संबंधी विषयों पर कार्य कराये जाते हैं। जब देश की नीतियों व महत्वपूर्ण फैसले लेने की बात आती है तो महिलाओं की भूमिका ना के बराबर होती है। ऐसे में आवश्यकता है कि आजादी के बाद महिलाओं की राजनीति में क्या भूमिका रही, तथा महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किये गए, आरंक्षण विल क्यों पास नहीं हुआ। इन सभी बातों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाये शोध पत्र इन्हीं विषयों पर प्रकाश डालते हेतु लिखा गया है।

आधुनिक भारतीय राजनीति में कई ऐसी महिलायें रही हैं जिनकी ऐतिहासिक भूमिका से हम भलिभाँति परिचित हैं। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान से लेकर आजाद भारत की सरकार चलाने तक में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका अहम रही है, बावजूद इसके जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात आती है। तो आकड़े बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। प्रत्यक्ष एकिटव पालिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी और अप्रत्यक्ष वोटर्स के रूप में भागीदारी दोनों ही स्तर पर ही भारी गैर बराबरी से हमारा मुठभेड़ होता है हालाकि महिला वोटर्स की बात करें तो स्थिति थोड़ी सी पहले से बेहतर है। 1980 से 2014 के बीच महिला वोटर्स की सेख्या में 15 प्रतिशत इजाफा हुआ है। 1

स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न प्ररंभ हो गये। अब महिलाओं के मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार की घोषणा से स्त्री पुरुष समानता का प्रश्न देश के सामने आने लगा। तब यह

विचार किया जाने लगा की पुरुषों के समक्ष राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिये जाने चाहिए। 2

### **1952 से 2014 तक लोकसभा में महिलाओं की स्थिति—**

LOK SABHA	TOTAL NO OF SEATS	WOMEN MEMBERS WHO WON	% OF TOTAL
First (1952)	489	22	4.4
Second (1957)	494	27	5.4
Third (1962)	494	34	6.7
Fourth (1967)	523	31	5.9
Fifth (1971)	521	22	4.2
Sixth (1977)	544	19	3.4
Seventh (1980)	544	28	5.1
Eight (1984)	544	44	8.1
Ninth (1989)	529	28	5.3
Tenth (1991)	509	36	7.0
Eleventh (1996)	541	40	7.4
Twelfth (1998)	545	44	8.0
Thirteenth (1999)	543	48	8.8
Fourteenth (2004)	543	45	8.1
Fifteenth (2009)	543	59	10.9
Sixteen (2014)	543	61	11.2

Source: Election Commission of India, New Delhi.

Notes: Including one Nominated Member.

लोकसभा में 1952 में महिलाएं 22 सीटों पर थीं जो 2014 में 61 तक आ गयी हैं यह बृद्धि 36 प्रतिशत है। लेकिन लैगिक भेदभाव अब भी भारी मात्रा में मौजूद है और लोकसभा में 10 में से 9 सासंद पुरुष हैं। 1952 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4.4 प्रतिशत थी जो 2014 में करीब 11 प्रतिशत है। अब भी वैशिक औसत 20 प्रतिशत से कम है। चुनाव में महिलाओं को टिकट न देने की नीति न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टीयों की है बल्कि क्षेत्रीय पार्टीयों भी इसी राह पर चल रही हैं। और इसका कारण बताया जाता उनमें जीतने की क्षमता कम होना जो चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। 3

अंन्तरराष्ट्रीय संस्था अंतर संसदीय युनियन के 2011 के आकड़े के अनुसार राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी देने के मामले में भारत 98वें नंबर पर है। जबकि दुनिया में कई पिछड़े एवं निर्धन देशों की संसद तक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 30 फीसदी तक ही है। इस संख्या के अनुसार भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में महिलाओं की राजनीति में भगीदारी इतनी कम है कि इनसे जुड़े मुद्दों को आवाज नहीं मिल पा रही है। दरअसल महिलाओं में ऐसी भगीदारी का बढ़ना सामाजिक बदलाव का द्योतक भी है। और समाज में बदलाव लाने का जरिया भी वर्ष 1917 में ही राजनीति में

महिलाओं की भागीदारी को ले कर मांग उठी थी, जिसके बाद 1930 में पहली बार महिला को मताधिकार मिला। और महिला मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता का ही नतीजा है। कि उसका सियासी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है। 4

1975 में पहली बार जब प्रतिनिधित्व के साथ महिलाओं की स्थिति को जोड़ कर देखा गया। अब महिलाओं के लिए समाज राजनीतिक अधिकारों की बात की जाने लगी इस संदर्भ में 1995 में महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है यह सम्मेलन चीन की राजधानी बिजिंग में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मंच से विश्वस्तरीय महिला संगठनों के प्रतिनीधियों ने पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की। इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में कई महिला सांसदों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई और इन्होंने सभी जन प्रतिनीधियों का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार के हलचलों का प्रभाव ये हुआ कि 1995 में ही पहली बार महिला आरक्षण से सम्बन्धित 81वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। लेकिन यह सांसदों की संकुचित मानसिकता ही कही जायेगी कि प्रत्येक सरकार इस विधयक को प्रस्तुत तो करती है परन्तु पारित नहीं करा पाती इस प्रकार भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पुरुषों की यह संकुचित मानसिकता का परिचायक है। 5

15 वीं लोकसभा में काग्रेष सरकार के दौरे में एक बार पुनः सकारात्मक कदम आरक्षण के संदर्भ में उठाया गया। राष्ट्रपति के संसद में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में घोषणा की कि सरकार राज्य विधानसभाओं व लोक सभाओं में महिला आरक्षण विधेयक को 100 दिन के भीतर पारित करने की दिशा में कदम उठाएगी। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गयी कि पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। जिससे अधिक से अधिक महिलाएँ राजनीतिक सहभागिता कर सकेंगी। 15 वीं लोकसभा ने महिला राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से अनुठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यह पहला अवसर था कि 58 से अधिक महिलाएँ भारत के बिभिन्न चुनाव क्षेत्रों से चुनाव जीत कर संसद पहुंची। 6

राजनीतिक सशक्तिकरण एवं महिला लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए विधेयक राज्य सभा में रख्खा गया किन्तु यह पास नहीं हो पाया यद्यपि राज्य सभा में पेश किया गया विधेयक पहला प्रयास नहीं था बल्कि इसकी कोशिश 1984–85 के दौरान प्रधानमंत्रित्व काल में राजीव गांधी जी ने की थी। पंचायती राज संस्थाओं अन्य स्थानीय निकायों को संविधान में स्थान देने की योजना बनाते समय संसद एवं विधान मण्डलों के लिए भी ऐसे कदम की रूपरेखा बनी लेकिन बाद में यह सफल नहीं रही। 7

1993 में संविधान में 73 वें संशोधन व 74 वें संशोधन के तहत पंचायत व नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी। महिला आरक्षण

विधेयक 1998,99, 2002,2003 में फिर लगाया गया नतीजा वही ढाक के तीन पात। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरंक्षण से जुड़ा 108 वाँ संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया। इसके दो साल बाद 2010 में तमाम राजनीतिक अवरोधों को दरकिनार कर राज्य सभा में यह विधेयक पास करा दिया गया। काग्रेस को बी0जे0पी0 और वाम दलों के अलावा कुछ अन्य दलों का साथ मिला। लेकिन लोकसभा में 262 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार विधेयक पारित नहीं कर सकी। 8

इस विधेयक को राज्यसभा में इस मकसद से लाया गया था कि अगर इस सदन से पारित हो जायेगा तो इससे इसकी मियाद बनी रहेगी। लेकिन युपीए सरकार से गलती हुई कि वह तुरंत इस विधेयक को लोकसभा में ले आयी सरकार को उम्मीद यह थी कि जिस तरह राज्य सभा में पास करा लिया गया वैसे ही इसे लोक सभा में पारित करा लिया जायेगा। लेकिन 2014 में 15 वीं लोकसभा भंग होने साथ ही यह विधेयक भी खत्म हो गया था। इस लिए अब लोक सभा में महिला आरंक्षण के विधेयक को नये सिरे से पेश करना होगा। 9

**महिला आरंक्षण विल के मार्ग में बाधाएँ :-** महिला आरंक्षण विल में मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं जो निम्नवत हैं।

1— महिला आरंक्षण की एक प्रमुख समस्या यह है कि इससे परुषों का प्रतिनिधित्व धटेगा। 33 प्रतिशत महिलाएँ तो संसद एवं विधान सभाओं में पहुचेगी। इसके अलावा और महिलाये भी विधान सभाओं व संसद में पहुचेगीं इसमें पुरुषों का प्रतिनिधित्व धटेगा तथा साथ ही महिलाओं की संख्या संसद में एक तिहाई से अधिक भी हो सकती है। 10

2— महिलाओं को 33 प्रतिशत आरंक्षण देने के विरोधी दल समाजवादी दल, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनतात्रिक पार्टीया है। ये सभी दल अल्पसंख्यकों व पिछड़ों के लिए आरंक्षण की मांग कर रहे हैं। शरद यादव नेतों इनके विरोध में जहर तक खाने की धमकी दी है। ये सभी दल अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग, के लिए अलग से आरंक्षण की मांग कर रहे हैं। 11

3— विरोधीयों का मानना है कि संसद एवं विधान सभाओं में आरंक्षण से उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा। जो संम्पन्न एवं कुलिन परिवार से है। दूसरे उन महिलाओं को फायदा मिलेगा जो राजनीतिक परिवारों से है। तथा जो संम्पन्न व कुलीन परिवारों से है।

4— ज्ञातव्य है कि अनुसूचित जाति व जनजाति को कोटे के साथ पर्याप्त आरक्षण दिया गया अर्थात् यदि उस तरह से आरक्षण हुआ तो पुरुष वर्ग 50 प्रतिशत सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पायेगा। ऐसे में कोई भी पुरुष सासद अपनी शीट मिली महिला को देने को तैयार नहीं होगा। इस प्रकार का विधेयक एक दिखावा मात्र है। दिल से कोई सासद नहीं चाहता कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाय। 12

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु ठोस प्रयास आवश्यक है। इस संदर्भ में कुछ सुझाव दिये गये हैं जो निम्नलिखित हैं।

- 1— महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है।
- 2— राजनीति में प्रवेश के लिए उनमें साहस, त्याग तथा निर्भिकता की भावना का विकाश होना आवश्यक है।
- 3— भारतीय सामाजिक संरचना का समानता के आधार पर गठन हो। आरक्षण व्यवस्था भारत के समाज की प्रकृति के अनुकूल है। पर यह आर्थिक व योग्यता के आधार पर हो।
- 4— शिक्षा परिवर्तन की कुन्जी है देश में बालक व बालिकाओं के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करना।
- 5— महिलाओं प्रति हो रहे अपराधों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जाना चाहिए।
- 6— सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं को राजनीति से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
- 7— देश के हर नागरिक को अपना स्वतंत्र राजनीतिक मत देने का अधिकार है। इस लिए हमें देश की महिलाओं को ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे उनमें स्वतंत्र सोच विकसित हो वे अपनी बात बिना किसी संकोच के समाज के सामने रख सकें।
- 8— प्रचार प्रसार, प्रेस मिडिया द्वारा सोच में परिवर्तन कर के उनमें आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए।
- 9— महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए ज़िपर सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। स्वीडन जैसे कुछ यूरोप के देशों में ये उपाय अपनाया गया है। हर तीन उमीदवारों पर एक महिला शामिल होती है।

**निष्कर्षः—** आज के मौजुदा समय की जरूरत है कि देश संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय जिससे पंचायत व नगर पालिकाओं की तरह संसद और विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकें। साथ ही जरूरत है आदिवासी वर्ग की महिलाओं को अलग से कोटा दिया जाय जिससे पिछड़े व दबे कुचले वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके भारत की विधायिकाओं में महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए दलों को दलगत राजनीति से उठ कर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करना चाहिए क्योंकि किसी भी जीवंत व मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। महिलाओं की राजनीतिक भागेदारी

से निसंदेह लोकतंत्र की जड़े मजबूत होगीं। तथा भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक विकाश और आधूनिकी करण की दिशा में अग्रसर होगा।

## संदर्भ सूची:-

1— भारत की राजनीति में महिलाओं की भागेदारी <https://www.youth ki awaaz.com> 4 मार्च 2019

2— राजस्थान विकाश — अक्टूबर 1951 से मार्च 1992, ग्रमिण विकाश एवं पंचायती राज विभाग — अर्धवार्षिक विशेषाक।

3— मिश्रा प्रशान्त, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागेदारी

<http://m.dalyhunt.in/news/india/hindipoorvanchalmedia e paper pmedia/bharitiy+rajniti+me+mahilao+ki+bhagedari+newsid 56223457>

4— डा० मोनिका शर्मा भारतीय राजनीति में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए ये है बदलाव की बयार, <https://www.jagran.com>

5— अवध प्रसाद पंचायती राज में 25 वर्ष दिल्ली पृ०— 5

6— डा० वीणा मेहता, पंचायती राज का प्रशासनिक ढाचा संदेश 1550

7— पंचायत संख्या का विकाश, प्रकाशन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली पृ० 20

8— महिलाओं के आरंक्षण व समानता का मुद्दा <https://www.drishtiias.com/hindi>

9— आखिर क्यों पास नहीं हो पा रहा महिला आरंक्षण बिल

<https://www.prabhatkhabar.com/news/1246701>

10— हर्षदेव मालवीय विलेज पंचायत इन इण्डिया पृ०— 225

11— पंचायती राज संख्या का विचार, प्रकाशन विभाग, भारत समाचार नई दिल्ली पृ—35

12— अवध प्रसाद भारत में पंचायतों के 25 वर्ष पृ० 16